भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 941

उत्तर देने की तारीख 27.06.2019

पारंपरिक/लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना

941. श्री संतोष सिंह चौधरीः
श्री हनुमान बैनिवालः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में केन्द्र सरकार के सहयोग से पारंपरिक और लघु उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के नागौर जिले में पारंपरिक हस्त उपकरण चालित उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई विशेष योजना आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पुनर्बहाली हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केवीआईसी के माध्यम से देश भर में परंपरागत और लघु उद्योग के पुनर्जीवित (रिवाइव) करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता हैः

1) <u>परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)</u> परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी। यह योजना उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी), उत्पादन विकास, गुणवत्ता में सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम को वर्ष 2016-17 के दौरान पुनरूद्धारित स्फूर्ति स्कीम के रूप में संशोधित किया गया है।

2) <u>खादी कार्यक्रम</u>: खादी कार्यक्रम के विकास और संवर्धन के लिए केवीआईसी 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) की सहायता से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है। और 2518 खादी संस्था 4.65 लाख व्यक्तियों (संचयी) को रोजगार प्रदान कर रही हैं जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं

i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)

ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)

iii) आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती जनश्री बीमा योजना)

iv)कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट (एडब्ल्यूएफटी)

v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

vi) विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता।

3) ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ सात समूहों में विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)

ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई)

iii) हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई)

iv) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)

v) पॉलीमर और कैमिकल आधारित उद्योग (पीसीबीआई)

vi) ग्रामीण इंजीनियरिंग और बायो प्रोद्योगिकि उद्योग (आरईबीटी)

vii) सेवा एवं वस्त्र उद्योग

4) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की सतत, कतिनों (स्पिनिरों) एवं बुनकरों के लिए वर्धित आय और रोजगार, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनरूद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी परंपरागत उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अर्थात् मधुमक्खी पालन (हनी मिशन) और पोटरी विकास कार्यक्रम (कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम) भी कार्यान्वित कर रहा है।

i) मधुमक्खी पालन (हनी मिशन): केवीआईसी ने देश के मधुमक्खी पालन संभावित राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दगेने और रोजगार सृजन करने के लिए जुलाई, 2017 में हनी (मधुमक्खी) मिशन आरंभ किया।

ii) पोटरी कार्यक्रम (कुम्हार सशक्तीकरण): इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवीआईसी ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां परंपरागत पोटरी कामगार क्लस्टर उपलब्ध है और उन्हें इलैक्ट्रिक पोटरी व्हील और अन्य टूल जैसे बलंगर, पग मिल इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा के माध्यम से नागौर, राजस्थान में एक विस्तार केंद्र संचालित करता है जहाँ क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 1052 और 7571 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमएमई) को पुनर्जीवित (रिवाइव) करने के लिए उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

1) मिशन सोलर चरखा ग्रामीण भारत में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा मिशन सोलर चरखा का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम में केन्द्रित ग्रामों में सोलर चरखा स्थापित करने का प्रावधान हैं जिससे 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के कारीगर सोलर चरखाओं के फैब्रिक के उत्पादन और प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं।

2) क्षमता निर्माण (सीबी): केवीआईसी 40 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न विषयों नामतः साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य मदों, बेकरी उत्पादों, रेडीमेड वस्त्रों, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाने, मोमबत्ती बनाने, मोटर बाईडिंग इत्यादि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3) <u>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि:</u> शिल्पकारों के उपकरणों और विनिर्माण तकनीकी में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) महत्वपूर्ण इनपुट सामग्री है। केवीआईसी में कारीगरों की आय और उत्पादकता बढ़ाने और उनके कार्यों में नीरसता को कम करके उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कारीगर अनुकूल बनाना जारी रखा है। केवीआईसी की अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है जो ग्रामीण उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और पैकेजिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं।

मंत्रालय कयर बोर्ड के माध्यम से कयर उद्योग की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कयर विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्कीम के घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) किया गया है।

1. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई)
2. कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)
3. निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी)
4. घरेलू बाजार संवर्धन (डीएमपी)
5. व्यापार और उद्योग संबंधित कार्यात्मक सहयोग सेवायें (टीआईआरएफएसएस)
6. कल्याणकारी उपाय (समूह वैयक्तिक दुर्घटना इंश्योरेंस स्कीम)
7. योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मंत्रालय 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की विश्व बैंक ऋण सहायता सहित 2200 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने और विद्यमान प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) के उन्नयन/आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है।

6000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र स्थापित करने के लिए दिनांक 01.11.2018 को सीसीईए द्वारा एक नई स्कीम ''नए प्रौद्योगिकी केंद्र/विस्तार केंद्र की स्थापना'' भी अनुमोदित की गई है।

इन प्रौद्योगिकी केंद्रों को एमएसएमई की सहायता हेतु उनके कौशल और प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं विशेष रूप से उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों के लिए स्थापित किया जा रहा है तथा यह विभिन्न अग्रणी प्रौद्योगिकियों जैसे सीएनसी मशीनें, 3डी विनिर्माण/योगात्मक विनिर्माण, लेजर/अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, रोबोटिक्स और प्रक्रिया ऑटोमेशन, प्रिशिजन माप/मैट्रोलॉजिकल उपकरण, सामान्य इंजीनियरिंग और ऑटोमेटिव क्षेत्र हेतु अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधायें इलेक्ट्रानिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र के लिए कैलीब्रेशन और परीक्षण सुविधाओं के साथ सुसज्जित हैं।

****